राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– पदमपुरा

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 406 सन 2017

अनवान :–

1. ओमप्रकाश 2 पूर्णराम पि0 रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र गणपत जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर।
3. कमला 4 राजकुमारी पुत्रीया रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 6/3 की कुल 67 बीधा भूमि जिसके गणपत पुत्र बस्ती खातेदार काश्तकार थे। गणपत पुत्र बस्ती का देहान्त होने पर उसके पुत्रों पर वाद भूमि औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 112/113 ,11 की कुल 2.75045हैक भूमि आई है।वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है ।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया की वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का समान रूप से हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा गणपत पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्यसा 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसके सम्बध में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नही है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख 112/113 ,11 की कुल 2.75045हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो बहिब के खातेदार काश्तकार है बैक रहन सभी के हिस्से पर यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–पदमपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. ओमप्रकाश 2 पूर्णराम पि0 रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 रामकिशन पुत्र गणपत जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर।
3. कमला 4 राजकुमारी पुत्रीया रामकिशन जाति छिम्पा साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 406 सन 2017 निर्णय दिनांक–08.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख 112/113 ,11 की कुल 2. 75045हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो बहिब के खातेदार काश्तकार है बैक रहन सभी के हिस्से पर यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–पदमपुरा